

राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड राज्य मुख्यालय

जवाहर लाल नेहरू मार्ग, बजाज 0

नगर, जयपुर - 302015

टेलीफोन नं. 0141-2706830, 2941098, ई-मेल-rajscoutguide@yahoo.com

क्रमांक: प. () रा.मु. / 2024-25 / 3289

दिनांक: - 02-8-2024

सहायक राज्य संगठन आयुक्त (स्काउट/गाइड)
मण्डल मुख्यालय,
समस्त।

विषय:- राज्य स्तरीय प्रेसिडेन्ट रोवर/रेंजर प्रशिक्षण शिविर दिनांक 02.09.2024 से 06.09.2024 तक।

प्रसंग:- वार्षिक कार्यक्रम सत्र 2024-25।

राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड, राज्य मुख्यालय, जयपुर के वार्षिक कार्यक्रम सत्र 2024-25 के अनुसार, राज्य स्तरीय प्रेसिडेन्ट रोवर/रेंजर प्रशिक्षण शिविर का आयोजन दिनांक 02 से 06.09.2024 तक स्काउट गाइड प्रशिक्षण केन्द्र आबू पर्वत नं. -1 पर आयोजित किया जा रहा है। जिसका विवरण निम्नानुसार है-

- गतिविधि का नाम - राज्य स्तरीय प्रेसिडेन्ट रोवर/रेंजर प्रशिक्षण शिविर।
- तिथियां - 02 से 06.09.2024 तक
- स्थान - स्काउट गाइड प्रशिक्षण केन्द्र, आबू पर्वत नं.-1।
सम्पर्क:- श्री जितेन्द्र भाटी, सर्कल ऑर्गेनाइजर (स्का.) माउन्ट आबू 8003097176
- पहुँच - प्रथम दिन को प्रातः 10 बजे तक शिविर स्थल पर पहुँचना आवश्यक है तथा अन्तिम दिन को दोपहर बाद कार्यमुक्त किया जावेगा।
- योग्यता - निम्नांकित योग्यता रखने वाले रोवर्स/रेंजर्स शिविर में भाग ले सकेंगे -
 - जिन क्रू/टीम ने कोटामनी, नवीनीकरण, संस्था सदस्यता शुल्क एवं उद्योग पर्व राशि स्थानीय संघ में जमा करा दी हो।
 - राज्य स्तरीय प्रेसिडेन्ट शिविर हेतु राज्य पुरस्कार बैज पास कर लिया हो। (प्रमाण-पत्र की फोटो कॉपी शिविर में साथ लावे)
 - शरीर से स्वस्थ एवं शिविर में होने वाले शारीरिक श्रम को वहन करने की क्षमता रखते हो।
- शुल्क - यह शुल्क संबंधित विद्यालय/महाविद्यालय द्वारा देय होगा। स्वतन्त्र क्रू/टीम अपने नियमानुसार व्यवस्था करेंगे।

	प्रति रोवर/रेंजर	प्रति रोवर/रेंजर लीडर
पंजीकरण शुल्क	20	20
विकास शुल्क	30	30
शिविर शुल्क	750	1000
	800	1050

- पंजीकरण - दिनांक 15.08.2024 तक मण्डल मुख्यालय को आवेदन पत्र भिजवाकर पंजीकरण करवाना आवश्यक है। शुल्क, शिविर में पहुँचते ही जमा कराना होगा।
- मण्डल मुख्यालय, दिनांक 20.08.2024 तक प्राप्त आवेदन पत्रों की सूची राज्य मुख्यालय को मुख्यालय को भिजवाएंगे।

- आवंटित कोटा -

अजमेर	मरतपुर	बीकानेर	जयपुर	जोधपुर	कोटा	उदयपुर	योग
12 रोवर	12 रोवर	15 रोवर	12 रोवर	18 रोवर	12 रोवर	18 रोवर	99 रोवर
08 रेंजर	08 रेंजर	10 रेंजर	08 रेंजर	12 रेंजर	08 रेंजर	12 रेंजर	66 रेंजर


इससे अधिक संख्या के लिए राज्य मुख्यालय से स्वीकृति प्राप्त करें।

- आवास - सभी संभागियों की आवास व्यवस्था स्काउट/गाइड पद्धति के अनुसार तम्बुओं/हट्स में की जावेगी।
- सामग्री - मौसम के अनुसार बिस्तर, बदलने के कपड़े, शॉल आदि साथ लावे। व्यक्तिगत कार्यों से संबंधित सामग्री, साबुन, टार्च, पेन-पेंसिल, खाना खाने व चाय पीने के बर्तन, तीन मीटर सूत की रस्सी, सुई-धागा, बटन, पेन, पेंसिल, नोटबुक, पैमाना, आदि साथ लावे।

SOC/24-25/181

11. पौशाक - ए.पी.आर.ओ. भाग-2 व 3 के अनुसार पूर्ण एवं सही पौशाक साथ लावें। रैंजर्स के लिए APRO भाग-2 के अनुसार गणवेश पहनने का विकल्प रहेगा।
12. कन्वोशन - रेल्वे व बस कन्वोशन के लिए अपने मण्डल मुख्यालय के सहयोग से कार्यवाही करें।
13. रोवर/रैंजर यात्रा व्यय - रोवर का यात्रा व्यय संबंधित विद्यालय/महाविद्यालय से देय होगा। स्वतंत्र ग्रुपों की कार्यवाही की जावे।
14. रोवर लीडर / रैंजर लीडर - विद्यालय/महाविद्यालय के रोवर/रैंजर लीडर्स को यात्रा भत्ता राज्यादेश सं. एक 8(12) शिक्षा ग्रुप 4/76 दिनांक 26.11.76 के अनुसार व विद्यालय के रोवर/रैंजर लीडर्स को एक 8 (12) शिक्षा 4/76 दिनांक 26.11.76 के अनुसार व विद्यालय के रोवर/रैंजर लीडर्स को एक 8 (12) शिक्षा ग्रुप 4/76 दिनांक 28.08.76 के अनुसार राजकोष से देय होगा, इसके लिए नियमानुसार सक्षम अधिकारी से स्वीकृत प्राप्त कर शिविर में भाग लें।


पंजीकरण प्रपत्र						
	स्थानीय संघ		जिला		मण्डल	
BSGUID No.	रोवर/रैंजर का नाम	क्रू/टीम का नाम	जन्म तिथि	रा.पु. उत्तीर्ण तिथि	रा.पु. प्रमाण-पत्र संख्या व तिथि	मो. नं.
ह. सहा. राज्य संगठन आयुक्त ह. सी.ओ. (स्का./गाइड) ह. संस्था प्रधान/प्राचार्य ह. रोवर लीडर						

भवदीय

 (डॉ. पी. सी. जैन)
 राज्य सचिव

क्रमांक: प. () रा.मु./2024-25/3290-98
 प्रतिलिपि - आवश्यक सूचनार्थ एवं उचित कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

दिनांक: - 2/8/2024

1. राज्य मुख्यालय पदाधिकारीगण, समस्त।
2. श्रीमान् आयुक्त महोदय, उच्च शिक्षा, शिक्षा निदेशालय, जयपुर।
3. श्रीमान् निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, शिक्षा निदेशालय, बीकानेर।
4. श्रीमान् मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक शिक्षा) समस्त।
5. जिला सचिव, जिला मुख्यालय, समस्त।
6. सर्कल ओर्गेनाइजर (स्काउट/गाइड), समस्त को प्रेषित कर लेख है कि आवंटित कोटे के अनुसार अपने जिले से रोवर्स/रैंजर्स की सहभागिता सुनिश्चित करावें।
7. लेखाकार, राज्य मुख्यालय, जयपुर।
8. संस्था प्रधान/रोवर लीडर.....
9. सहायक प्रोग्रामर, राज्य मुख्यालय, वेबसाइट, ई-मेल करने हेतु।


 राज्य सचिव

SOC/24-25/182